

प्रेस-विज्ञप्तिजनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा चलाये गए चेकिंग अभियान में 547 वाहनों का चालान।

दिनांक- 29.05.2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाये गये अभियान में जनपद के कुल 89 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें कुल 1863 वाहनों को चेक किया गया। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर तीन सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 547 वाहनों का चालान किया गया।

थाना मेहनाजपुरशादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना:- दिनांक 28.05.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि सुधीर कुमार पुत्र रामलगन राम निवासी रामपुर जमीन पाल्हन थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी को बहला फुसला कर व शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाया और वादिनी द्वारा शादी के लिये कहने पर शादी से इन्कार कर दिया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/23 धारा 376,504,506 भादवि बनाम सुधीर कुमार पुत्र रामलगन राम निवासी रामपुर जमीन पाल्हन थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण :- आज दिनांक 29.05.23 को व0उ0नि0 मोती लाल पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुधीर कुमार पुत्र रामलगन राम निवासी रामपुर जमीन पाल्हन थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को जियापुर पानी की टंकी के पास से समय करीब 07:30 बजे गिरफ्तार कर बाद गिरफ्तारी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 114/23 धारा 376,504,506 भा0द0वि0

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुधीर कुमार पुत्र रामलगन राम निवासी रामपुर जमीन पाल्हन थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. व0उ0नि0 मोती लाल पटेल थाना मेहनाजपुर ,आजमगढ़
2. हे0का0 दिलीप पाठक थाना मेहनाजपुर , आजमगढ़
- 3.का0 अमित वर्मा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 आदर्श मिश्रा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना महाराजगंज

चेकिंग के दौरान शांति अपराधी गिरफ्तार; अवैध असलहा और कारतूस बरामद

पूर्व की घटना – आज दिनांक 29.05.2023 को उ0नि0 आकाश कुमार मय हमराह द्वारा हाईस्कूल देवारा कदीम पर संदिग्ध वाहनो, संदिग्ध व्यक्तो की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग को दौरान अभियुक्त रामअचल यादव उर्फ कल्लू पुत्र खदेरु सा0 हमीरपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 अवैध देशी तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को समय करीब 06.30 गिरफ्तार किया गया बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 170/23 धारा 3/25 A. ACT पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 170/23 धारा 3/25 A. ACT

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रामअचल यादव उर्फ कल्लू पुत्र खदेरु थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

क्र.सं. मु0अ0सं0 धारा थाना जनपद

1. 94/21 395,412 IPC महाराजगंज आजमगढ़
2. 197/21 34/307/399/402/411/413/420/467/468 IPC महाराजगंज आजमगढ़
3. 198/21 3/25 आर्म्स एक्ट महाराजगंज आजमगढ़
4. 108/22 3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट महाराजगंज आजमगढ़
5. 170/23 3/25 आर्म्स एक्ट महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

रामअचल यादव उर्फ कल्लू पुत्र खदेरु सा0 हमीरपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

01 तमन्चा.315 बोर

01 जिन्दा कारतूस .315

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 आकाश कुमार थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।

हे0का0 सुबाषचन्द्र यादव थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।

का0 मिथिलेश पासवान थाना महाराजगंज आजमगढ़ ।

गुमशुदा बच्ची घण्टे के भीतर बरामद 02

आज दिनांक को आवेदक बदरेआलम पुत्र अजीजूद्दीन निवासी ग्राम वलीदपुर थाना मुबारकपुर जनपद 29.05.2023 आजमगढ़ ने थाना मुबारकपुर पर जनसुनवाई में अपनी की पुत्री सिजा नूरी उम्री वर्ष क 07ो ग्राम नेवादा से समय 07:बजे 30 से गुम होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसके सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर ने गुमशुदा बच्ची की तलाश हेतु 02 टीमों का गठन कर तत्काल तलाश प्रारम्भ किया। जिसके क्रम में आरक्षी अनिरुद्ध यादव द्वारा गुमशुदा बच्ची सिजा नूरी को अमिलो बाजार से लगभग घण्टे के 02अन्दर बरामद किया गया। बरामदगी के पश्चात् गुमशुदा सिजा नूरी को उसके पिता बदरेआलम पुत्र अजीजूद्दीन को सुपुर्द किया गया। गुमशुदा बच्ची की बरामदगी के लिये पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा आरक्षी अनिरुद्ध यादव को 1000/- रुपये के पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान

थाना निजामाबाद

जन सेवा केन्द्र से 05 लाख रुपये की चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 04.12.2022 को वादी मुकदमा भोलानाथ सिंह पुत्र मिल्लू सिंह निवासी मुझ्या मकदुमपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि उनके ग्राहक सेवा केन्द्र नन्दनगर बाजार (तहसील के सामने) से लगभग 5,00,000 (लगभग 5 लाख रुपये) रु0 दिनांक 03/04.12.2022 की रात में ग्राहक सेवा केन्द्र का शटर उठाकर काउंटर का ताला तोड़कर कर लिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 504/22 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 29.05.2023 को उ0नि0 सूरज कुमार चौधरी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तो 1. मो0 इस्माईल अन्सारी पुत्र जलील अन्सारी ग्राम ओरगाव थाना भगवानपुर जनपद भभुआ बिहार 2. अनिल सिंह पुत्र दुखदेवन सिंह पता-ग्राम- ओरगाव थाना भगवानपुर जनपद भभुआ बिहार को मुखबीर की सूचना पर उदयभान इण्टर कालेज नदौली से समय करीब 23:45 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण

➡ तलाशी के दौरान मो0 इस्माईल के पास से 2290 रुपये व अनिल सिंह के पास से 4230/- रुपये बरामद किये गये। पैसे के सम्बन्ध में पुछा गया तो अनिल सिंह ने बताया कि साहब इस्माईल व अन्य साथियो के साथ मिलकर हम लोग नन्दनगर बाजार में जनसेवा केन्द्र में ताला तोड़कर लगभग पांच लाख रुपये चोरी किये थे जिसमें से बचा हुआ यह पैसा है।

➡ अन्य साथियों के बारे में पूछने पर बताया कि सुरेन्द्र उर्फ करिया नट पुत्र स्व0 कन्हैया नट निवासी डोडोपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, सलमान पुत्र लईक निवासी सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ व 01 अज्ञात व्यक्ति चोरी में सम्मिलित था। अज्ञात व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल सुरेन्द्र नट व सलमान को ही पता है। साहब गलती हो गयी है माफ कर दिजिए।

➡ इस्माईल अन्सारी ने बताया कि साहब चोरी की रात से मै अपना हिस्सा पाकर राजे सुल्तानपुर में जाकर छिप गया था एवं अनिल सिंह के हिस्से का पैसा 20 हजार मेरे ही पास था जो मुझसे खर्च हो गया है सलमान और करिया नट उर्फ सुरेन्द्र व अज्ञात मुखबीर के बारे मे पुछा गया तो दोनो ने बताया कि साहब वह इस वक्त कहा है हम नहीं जानते है।

➡ गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान माननीय न्यायालय में किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग - 1. मु0अ0सं0 504/22 धारा 457/ 380 /411 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम पता-

1. मो0 इस्माईल अन्सारी पुत्र जलील अन्सारी ग्राम ओरगाव थाना भगवानपुर जनपद भभुआ बिहार उम्र 26 वर्ष।
2. अनिल सिंह पुत्र दुखदेवन सिंह पता-ग्राम- ओरगाव थाना भगवानपुर जनपद भभुआ बिहार उम्र 26 वर्ष।

बरामदगी-

दोनो अभियुक्तो के पास से कुल 6520/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सूरज कुमार चौधरी थाना निजामाबाद, आजमगढ़
2. हे0का0 मुलायम यादव थाना निजामाबाद, आजमगढ़
3. हे0का0 अरविन्द यादव थाना निजामाबाद, आजमगढ़
4. का0 चन्दन चौहान थाना निजामाबाद, आजमगढ़
5. का0 आकाश शाहु थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना देवगांव

थाना देवगांव अन्तर्गत 25 हजार रुपये का इनामिया गैंगेस्टर गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 18.09.2022 को आवेदक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र रामलखन सिंह सा0 रामपुर कठरवा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि 04/05 अज्ञात बदमाशों द्वारा मेरे घर में रखे डबल बैरल की बन्दूक, 09 कारतूस, बर्तन - साड़ी लगभग 60, टीवी (LED) सैमसंग व 10000 रूपया रात्रि में चोरी कर लिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 353/2022 धारा 457/380 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। तथा विवेचना के दौरान अभियुक्तों 1. हरिकेश सिंह पुत्र स्व0 विरेन्द्र सिंह ग्राम बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ हाल पता सुरुहूलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, 2. ऋषिकेश सिंह पुत्र स्व0 विरेन्द्र सिंह ग्राम बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ हाल पता सुरुहूलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, 3. अमित राजभर पुत्र दिनेश राजभर ग्राम खनियरा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़, 4. प्यारे लाल प्रजापति पुत्र लालचन्द्र ग्राम गोडासन थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर व 5. अभियुक्ता सिंधू देवी पत्नी ऋषिकेश सिंह ग्राम बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ हाल पता सुरुहूलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, 6. गायत्री देवी पत्नी स्व0 बिरेन्द्र सिंह सा0 बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ हाल पता सुरुहूलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ का नाम प्रकाश में आया। और ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा 01 संगठित गैंग बनाकर चोरी की घटनाएं कारित की जाती हैं जिसका गैंग लीडर हरिकेश सिंह पुत्र स्व.विरेन्द्र सिंह सा0 बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद- आजमगढ़ हाल पता सुरुहूलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ है।

➡ उपरोक्त गिरोह द्वारा अपराधिक कृत्यों द्वारा आर्थिक, भौतिक दुनियावी लाभ पाने के लिए अपराध करके लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न कर सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त किया जाता है। इस गिरोह की सक्रियता अन्तर्जनपदीय स्तर पर है। गिरोह के भय व दहशत के कारण कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने या गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पाता है। जिसका समाज में स्वच्छन्द रूप से विचरण करना जनहित में ठीक नहीं है। अतः इनकी गतविधियों पर अंकुश लगाया जाना अतिआवश्यक है।

➡ जिसके क्रम में दिनांक 02.04.2023 को गजानन्द चौबे प्रभारी निरीक्षक थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ की रिपोर्ट पर श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय जनपद आजमगढ़ द्वारा गैंग लीडर अभियुक्त हरिकेश सिंह पुत्र स्व.विरेन्द्र सिंह निवासी बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ हाल पता सुरुहूलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ व उसके गैंग के सदस्यों 1. ऋषिकेश सिंह पुत्र स्व. विरेन्द्र सिंह निवासी बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ हाल पता सुरुहूलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ 2. सिंधू देवी पत्नी ऋषिकेश सिंह निवासी बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ हाल पता सुरुहूलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ 4. प्यारे लाल प्रजापति पुत्र लालचन्द्र प्रजापति निवासी गोडासन थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर 4. गायत्री देवी पत्नी स्व. विरेन्द्र सिंह निवासी निवासी बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ हाल पता सुरुहूलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ 6. रविन्द्र सिंह पुत्र रामबचन निवासी बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया था।

➡ गैंग चार्ट के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 135/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना बरदह जनपद आजमगढ़ बनाम 1. हरिकेश सिंह पुत्र स्व.विरेन्द्र सिंह सा0 बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद- आजमगढ़ हाल पता सुरुहूलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ 2. ऋषिकेश सिंह पुत्र स्व. विरेन्द्र सिंह सा0 बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ हाल पता सुरुहूलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ 3. सिंधू देवी पत्नी ऋषिकेश सिंह सा0 बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ हाल पता सुरुहूलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ 4. प्यारे लाल प्रजापति पुत्र लालचन्द्र प्रजापति सा0 गोडासन थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर 5. गायत्री देवी पत्नी स्व. विरेन्द्र सिंह सा0 सा0 बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद- आजमगढ़ हाल पता सुरुहूलपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ 6. रविन्द्र सिंह पुत्र रामबचन सा0 बेनूपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना विकास पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में अभियुक्त आसिफ पुत्र अयाज उर्फ मुन्ना फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु 15000 रुपये की इनाम राशि घोषित की गयी थी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 29.05.2023 को स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह हे0का0 सुरेन्द्र यादव, हे0का0 पवन यादव, हे0का0 अभिमीत तिवारी, हे0का0 अमित सिंह, का0 सुनिल प्रजापति, का0 ताहिर अली, का0 मुकेश यादव व थाना देवगांव की पुलिस टीम द्वारा मोलनापुर पुल पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि सूचना प्राप्त हुयी कि

मुकदमा उपरोक्त में पुरस्कार घोषित अपराधी बसही बाईपास हाईवे मोड़ के पास मौजूद है। इस सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 संजय सिंह मय हमराह व थाना देवगांव की पुलिस ने अभियुक्त प्यारे लाल प्रजापति पुत्र लालचन्द्र प्रजापति निवासी गोडासन थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर को मोलनापुर पुल से समय करीब 06.45 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

आपराधिक इतिहास-

प्यारे लाल प्रजापति पुत्र लालचन्द्र प्रजापति निवासी गोडासन थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर

क्र.स.	मु.अ.स	धारा	थाना	जनपद
1.	353/22	457/380/411 भादवि	देवगाँव	आजमगढ़
2.	135/2023	3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट	देवगाँव	आजमगढ़
3.	183/19	379,411 भा.द.वि.	जंगीपुर	गाजीपुर
4.	124/21	380,457,411 भादवि	जंगीपुर	गाजीपुर
5.	752/16	380,457,411 भादवि	जंगीपुर	गाजीपुर
6.	757/17	302,379,393 भादवि	दुल्हपुर	गाजीपुर
7.	95/20	3/25 आर्म्स एक्ट	बहरियाबाद	गाजीपुर
8.	161/17	3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट	बहरियाबाद	गाजीपुर
9.	801/16	3/25 आर्म्स एक्ट	बहरियाबाद	गाजीपुर
10.	576/15	457,380,411 भादवि	मरदह	गाजीपुर
11.	1327/16	307/457/511 भादवि	शादियाबाद	गाजीपुर
12.	168/2019	457/380/411 भादवि	कासिमाबाद	गाजीपुर
13.	846/2015	3 80/457 भादवि	बहरियाबाद	गाजीपुर
14.	35/2014	380/41 भादवि	सादात	गाजीपुर
15.	604/09	109/41 भादवि	बहरियाबाद	गाजीपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता - प्यारे लाल प्रजापति पुत्र लालचन्द्र प्रजापति निवासी गोडासन थाना बहरियाबाद जनपद

गाजीपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 संजय सिंह स्वाट टीम प्रभारी, आजमगढ़।
2. हे0का0 सुरेन्द्र यादव स्वाट टीम, आजमगढ़।
3. हे0का0 पवन यादव स्वाट टीम, आजमगढ़।
4. हे0का0 अभिमीत तिवारी स्वाट टीम, आजमगढ़।
5. हे0का0 अमित सिंह स्वाट टीम, आजमगढ़।
6. का0 सुनिल प्रजापति स्वाट टीम, आजमगढ़।
7. का0 ताहिर अली स्वाट टीम, आजमगढ़।
8. का0 मुकेश यादव स्वाट टीम, आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना - दिनांक 02.04.2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी नाबालिक लड़की को चन्दन कुमार s/o रामसरे राम निवासी घटिया पो0 गोपालपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/2023 धारा 363/366 भा0द0वि0 बनाम चन्दन कुमार s/o रामसरे राम निवासी घटिया पो0 गोपालपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना में धारा 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी की विवरण- आज दिनांक 29.05.2023 को उ0नि0 महेश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चन्दन कुमार s/o रामसरे राम निवासी घटिया पो0 गोपालपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को मुखबीरी की सूचना पर ऊंचीगोदाम बाजार से समय करीब 10.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 87/2023 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 3,4 पाक्सों एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता – चन्दन कुमार s/o रामसरे राम निवासी घटिया पो0 गोपालपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

कां0 सौरभ कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

कां0 सुनील कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।